



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 15 जून, 2021

ज्येष्ठ 25, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या 06/2021/210/94-स्टा०नि०-2-2021-700(04)-2021

लखनऊ, 15 जून, 2021

अधिसूचना

आदेश

प०आ०-138

“साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन किसी विलेख पर प्रभार्य समुचित स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर एक सौ रुपये शुल्क निर्धारित करती हैं।”

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 06/2021/210/94-S. R.-2-700(04)-2021, dated June 15, 2021.

No. 06/2021/210/94-S. R.-2-700(04)-2021

*Dated Lucknow, June 15, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 31 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, with effect from the date of the publication of this notification in the *Gazette*, is pleased to fix the fee of one hundred rupees, for adjudication of proper stamp duty chargeable on an instrument, on application presented before the collector under the aforesaid sub-section (1) of section 31.

By order,

VEENA KUMARI,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 82 राजपत्र-2021-(145)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन-2021-(146)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।